(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (100)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/538 Dated: 07/07/21

Notification No. 79/2020– State Tax

No. F.3(100)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1.Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Twelveth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 15th day of October, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, specify-

(i) the number of digits of Harmonised System of Nomenclature code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention; or

(ii) a class of supply of goods or services for which specified number of digits of Harmonised System of Nomenclature code shall be required to be mentioned by all registered taxpayers; and

(iii) the class of registered persons that would not be required to mention the Harmonised System of Nomenclature code for goods or services:".

3.In the said rules, for rule 67A,the following rule shall be substituted, namely:-

"**67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.**- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** or a Nil statement in **FORM GST CMP-08** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies or statement through a short messaging service

using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies orstatement shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies or Nil statement shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37 or statement under rule 62, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B** or **FORM GSTR-1** or **FORM GST CMP-08**, as the case may be.".

4. In the said rules, in rule 80, in sub-rule (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that for the financial year 2018-2019 and 2019-2020, every registered person whose aggregate turnover exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C** for the said financial year, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.".

5. In the said rules, with effect from the 20th day of March, 2020, in rule 138E,after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 20th day of March, 2020 till the 15th day of October, 2020 in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period February, 2020 to August, 2020.".

6.In the said rules, in rule 142, in sub-rule (1A),-

(i)for the words "proper officer shall", the words "proper officer may" shall be substituted;

(ii) for the words "shall communicate", the word "communicate" shall be substituted.

7.In the said rules, in **FORM GSTR-1,**against serial number 12, in the Table, in column 6, in the heading, for the words "Total value", the words "Rate of Tax" shall be substituted.

8. In the said rules, for **FORM GSTR-2A**, the following form shall be substituted, namely: -

"FORM GSTR-2A

[See rule 60(1)]

Details of auto drafted supplies

(From GSTR 1, GSTR 5, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8, import of goods and inward supplies of goods received from SEZ units / developers)

Year				
Month				

1.	GSTIN		
2.	(a)	Legal name of the registered person	
	(b)	Trade name, if any	

PART A

(Amount in Rs. all Tables)

3. Inward supplies received from a registered person including supplies attracting reverse charge

GSTIN of supplier	Trade/ Legal name	Invoice details				Rate (%)	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/ UT)	Supply attracting reverse charge (Y/N)	GSTR-1/5 period	GSTR-1/5 filing date	GSTR-3B filing status (Yes/ No)	Amendment made, if any (GSTIN, Others)	Tax period in which amended	Effective date of cancellation, if any
		No.	Type	Date	Value			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. Amendment to Inward supplies received from a registered person including supplies attracting reverse charge (Amendment to 3)

Details of original Document		Revised details						Rate (%)	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/ UT)	Supply attracting reverse charge (Y/N)	GSTR-1/5 period	GSTR-1/5 filing date	GSTR-3B filing status (Yes / No)	Amendment made (GSTIN, Others)	Tax period of original record	Effective date of cancellation if any,
No.	Date	GSTIN	Trade / Legal name	No.	Type	Date	Value			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5. Debit / Credit notes received during current tax period

GSTIN of supplier	Trade / Legal name	Credit / Debit Note Details					Rate (%)	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/UT)	Supply attracting reverse charge (Y/N)	GSTR-1/5 period	GSTR-1/5 filing date	GSTR-3B filing status (Yes/No)	Amendment made, if any (GSTIN, Others)	Tax period in which amended	Effective date of cancellation, if any
		No.	Note type	Note supply type	Date	Value			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

6. Amendment to Debit / Credit notes (Amendment to 5)

Details of original document			Revised details							Rate (%)	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/ UT)	Supply attracting reverse charge (Y/N)	GSTR-1/5 period	GSTR-1/5 filing date	GSTR-3B filing status (Yes / No)	Amendment made (GSTIN, Others)	Tax period of original record	Effective date of cancellation if any
Type	No.	Date	GSTIN of Supplier	Trade / Legal name	No.	Note type	Note supply type	Date	Value			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

PART B

7. ISD credit received

GSTIN of ISD	Trade/ Legal name	ISD document details			ISD invoice details (for ISD credit note only)		ITC amount involved				GSTR-6 Period	GSTR-6 filing date	Amendment made, if any	Tax Period in which amended	ITC Eligibility
		Type	No.	Date	No.	Date	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8. Amendments to ISD credit details

Original ISD Document Details			Revised details					Original ISD invoice details (for ISD credit note only)		ITC amount involved				ISD GSTR-6 Period	ISD GSTR-6 filing date	Amendment made	Tax period of original record	ITC Eligibility
Type	No.	Date	GSTIN of ISD	Trade/ Legal name	Type	No.	Date	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PART- C

9. TDS and TCS Credit (including amendments thereof) received

GSTIN of Deductor / GSTIN of E-Commerce Operator	DeductorName / E-Commerce Operator Name	Tax period of GSTR-7 / GSTR-8 (Original / Amended)	Amount received / Gross value (Original / Revised)	Value of supplies returned	Net amount liable for TCS	Amount (Original / Revised)		
						Integrated tax	Central tax	State /UT tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9A. TDS								
9B. TCS								

PART- D

10. Import of goods from overseas on bill of entry (including amendments thereof)

ICEGATE Reference date	Bill of entry details				Amount of tax		Amended (Yes/ No)
	Port code	No.	Date	Value	Integrated tax	Cess	

1	2	3	4	5	6	7	8

11. Inward supplies of goods received from SEZ units / developers on bill of entry (including amendments thereof)

GSTIN of the Supplier (SEZ)	Trade / Legal name	ICEGATE Reference date	Bill of Entry details				Amount of tax		Amended (Yes/ No)
			Port code	No.	Date	Value	Integrated tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Instructions:

1. Terms Used :-
   a. ITC – Input tax credit
   b. ISD – Input Service Distributor
2. **Important Advisory**: FORM GSTR-2A is statement which has been generated on the basis of the information furnished by your suppliers in their respective FORMS GSTR-1,5,6,7 and 8. It is a dynamic statement and is updated on new addition/amendment made by your supplier in near real time. The details added by supplier would reflect in corresponding FORM GSTR-2A of the recipient irrespective of supplier's date of filing.
3. There may be scenarios where a percentage of the applicable rate of tax rate may be notified by the Government. A separate column will be provided for invoices / documents where such rate is applicable.
4. **Table wise instructions**:

Table No. and Heading	**Instructions**
3 Inward supplies received from a registered person including supplies attracting reverse charge	i. The table consists of all the invoices (including invoices on which reverse charge is applicable) which have been saved / filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5. ii. Invoice type : a. R- Regular (Other than SEZ supplies and Deemed exports) b. SEZWP- SEZ supplies with payment of tax c. SEZWOP- SEZ supplies without payment of tax d. DE- Deemed exports e. CBW - Intra-State supplies attracting IGST iii. For every invoice, the period and date of FORM GSTR-1/5 in which such invoice has been declared and filed is being provided. It may be noted that the details added by supplier would reflect in corresponding FORM GSTR-2A of the recipient irrespective of supplier's date of filing. For example, if a supplier files his invoice INV-1 dated 10th November 2019 in his FORM GSTR-1 of March 2020, the invoice will be reflected in FORM GSTR-2A of March, 2020 only. Similarly, if the supplier files his FORM GSTR-1 for the month of November on 5th

	March 2020, the invoice will be reflected in FORM GSTR-2A of November 2019 for the recipient. iv. The status of filing of corresponding FORM GSTR-3B for FORM GSTR-1 will also be provided. v. The table also shows if the invoice or debit note was amended by the supplier and if yes, then the tax period in which such invoice was amended, declared and filed. For example, if a supplier has filed his invoice INV-1 dated 10th November 2019 in his FORM GSTR-1 of November 2019, the invoice will be reflected in FORM GSTR-2A of November, 2019. If the supplier amends this invoice in FORM GSTR-1 of December 2019, the amended invoice will be made available in Table 4 of FORM GSTR-2A of December 2019. The original record present in Table 3 of FORM GSTR-2A of November 2019 for the recipient will now have updated columns of amendment made (GSTIN, others) and tax period of amendment as December 2019. vi. In case, the supplier has cancelled his registration, the effective date of cancellation will be provided.
4 Amendment to Inward supplies received from a registered person including supplies attracting reverse charge (Amendment to table 3)	i. The table consists of amendment to invoices (including invoice on which reverse charge is applicable) which have been saved/filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5. ii. Tax period in which the invoice was reported originally and type of amendment will also be provided. For example, if a supplier has filed his invoice INV-1 dated 10th November 2019 in his FORM GSTR-1 of November 2019, the invoice will be reflected in FORM GSTR-2A of November, 2019. If the supplier amends this invoice in FORM GSTR-1 of December 2019, the amended invoice will be made available in Table 4 of FORM GSTR-2A of December 2019. The original record present in Table 3 of FORM GSTR-2A of November 2019 for the recipient will now have updated columns of amendment made (GSTIN, others) and tax period of amendment as December 2019.
5 Debit / Credit notes received during current tax period	i. The table consists of the credit and debit notes (including credit/debit notes relating to transactions on which reverse charge is applicable) which have been saved/filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5. ii. If the credit/debit note has been amended subsequently, tax period in which the note has been amended will also be provided. iii. Note Type: o Credit Note o Debit Note iv. Note supply type: o R- Regular (Other than SEZ supplies and Deemed exports) o SEZWP- SEZ supplies with payment of tax o SEZWOP- SEZ supplies without payment of tax o DE- Deemed exports o CBW - Intra-State supplies attracting IGST v. For every credit or debit note, the period and date of FORM GSTR-1/5 in which such credit or debit note has been declared and filed is being provided. It may be noted that the details added by supplier

	would reflect in corresponding FORM GSTR-2A of the recipient irrespective of supplier's filing of FORM GSTR-1. For example, if a supplier files his credit note CN-1 dated 10th November 2019 in his FORM GSTR-1 of March 2020, the credit note will be reflected in FORM GSTR-2A of March, 2020 only. Similarly, if the supplier files his FORM GSTR-1 for the month of November on 5th March 2020, the credit note will be reflected in FORM GSTR-2A of November 2019 for the recipient. vi. The status of filing of corresponding FORM GSTR-3B of suppliers will also be provided. vii. The table also shows if the credit note or debit note has been amended subsequently and if yes, then the tax period in which such credit note or debit note was amended, declared and filed. viii. In case, the supplier has cancelled his registration, the effective date of cancellation will be displayed.
6 Amendment to Debit/Credit notes(Amendment to 5)	i. The table consists of the amendments to credit and debit notes (including credit/debit notes on which reverse charge is applicable) which have been saved/filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5. ii. Tax period in which the note was reported originally will also be provided.
7 ISD credit received	i. The table consists of the details of the ISD invoices and ISD credit notes which have been saved/filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6. ii. Document Type : o ISD Invoice o ISD Credit Note iii. If ISD credit note is issued subsequent to issue of ISD invoice, original invoice number and date will also be shown against such credit note. In case document type is ISD Invoice these columns would be blank iv. For every ISD invoice or ISD credit note, the period and date of FORM GSTR-6 in which such respective invoice or credit note has been declared and filed is being provided. v. The status of eligibility of ITC on ISD invoices as declared in FORM GSTR-6 will be provided. vi. The status of eligibility of ITC on ISD credit notes will be provided.
8 Amendment to ISD credit received	i. The table consists of the details of the amendments to details of the ISD invoices and ISD credit notes which have been saved/filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6.
9 TDS / TCS credit received	i. The table consists of the details of TDS and TCS credit from FORM GSTR-7 and FORM GSTR-8 and its amendments in a tax period.. ii. A separate facility will be provided on the common portal to accept/ reject TDS and TCS credit.
10 & 11 Details of Import of goods from overseas on bill of	i. The table consists of details of IGST paid on imports of goods from overseas and SEZ units / developers on bill of entry and amendment thereof. ii. The ICEGATE reference date is the date from which the recipient is

entry and from SEZ units and developers and their respective amendments		eligible to take input tax credit.
	iii.	The table also provides if the Bill of entry was amended.
	iv.	Information is provided in the tables based on data received from ICEGATE. Information on certain imports such as courier imports may not be available.

".

9.In the said rules, in**FORM GSTR-5, -**

(i).in the table,-

(a)in serial number 2, after entry (c), the following entries shall be inserted, namely:-

"(d)	ARN	Auto Populated
(e)	Date of ARN	Auto Populated.";

(b) in serial number10,-

(A) in the heading, after the words, "Total tax liability", the brackets and words "(including reverse charge liability, if any)", shall be inserted;

(B)after serial number 10B and the entry relating thereto,the following serial number and entry shall be inserted, namely,-

"10C. On account of inward supplies liable to reverse charge					
					";

(ii) in the instructions, -

(a) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"7. Invoice-level information, rate-wise, pertaining to the tax period should be reported as under:

(i.) for all B to B supplies (whether inter-State or intra-State), invoice level details should be uploaded in Table 5;

(ii.) for all inter-state B to C supplies, where invoice value is more than Rs. 2,50,000/- (B to C Large) invoice level detail to be provided in Table 6; and

(iii.) for all B to C supplies, other than those reported in table 6, shall be reported in Table 7 providing State-wise summary of such supplies.";

(b) in paragraph 8, in clause (ii), after the words, "invoice value is more than", the word "rupees", shall be inserted;

(c) for paragraph 10, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"10. Table 10 consists of tax liability on account of outward supplies declared in the current tax period and negative ITC on account of amendment to import of goods in the current tax period. Inward supplies attracting reverse charge shall be reported in Part C of the table.".

10. In the said rules, in**FORM GSTR-5A**, -

(i) against serial number 4 and entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely: -

"4(a) ARN:

4(b) Date of ARN:";

(ii) for serial number 6, the following shall be substituted, namely: -

"6. Calculation of interest, or any other amount

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Description	Place of supply (State/UT)	Amount due (Interest/ Other)	
			Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5
1.	Interest			
2.	Others			
	Total			

";

(iii). for serial number 7, the following shall be substituted, namely:-

"7. Tax, interest and any other amount payable and paid

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Description	Amount payable		Debit entry no.	Amount paid	
		Integrated tax	Cess		Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tax Liability (based on Table 5 & 5A)					
2.	Interest (based on Table 6)					
3.	Others (based on Table 6)					

".

11. In the said rules, in FORM GSTR-9, -

(i) in the Table, -

(a)against serial number 8C, in column 2, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period";

(b) against Pt. V, for the heading, the following heading shall be substituted,namely:-

"Particulars of the transactions for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period.";

(ii) in the instructions, -

(a) after paragraph 2, the following entry shall be inserted, namely,-

"2A. In the Table, against serial numbers 4, 5, 6 and 7, the taxpayers shall report the values pertaining to the financial year only. The value pertaining to the preceding financial year shall not be reported here."

(b) in paragraph 4, -

(A) after the words, letters and figures, "that additional liability for the FY 2017-18 or FY 2018-19", the word, letters and figures "or FY 2019-20" shall be inserted;

(B) in the Table, in second column, for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19" wherever they occur, the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted;

(c) in paragraph 5, in the Table, in second column, -

(A) against serial number 6B, after the entries, the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, the registered person shall report the breakup of input tax credit as capital goods and have an option to either report the breakup of the remaining amount as inputs and input services or report the entire remaining amount under the "inputs" row only.";

(B) against serial number 6C and serial number 6D, -

(i) after the entry ending with the words "entire input tax credit under the "inputs" row only.", the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, the registered person shall report the breakup of input tax credit as capital goods and have an option to either report the breakup of the remaining amount as inputs and input services or report the entire remaining amount under the "inputs" row only.";

(ii) in the entry ending with the words, figures and letters "Table 6C and 6D in Table 6D only.", for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19", the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted;

(C) against serial number 6E, after the entry, the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, the registered person shall report the breakup of input tax credit as capital goods and have an option to either report the breakup of the remaining amount as inputs and input services or report the entire remaining amount under the "inputs" row only.";

(D) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, in the entry, for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19", the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted.;

(E) against serial number 8A, after the entry, the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, it may be noted that the details from **FORM GSTR-2A** generated as on the 1st November, 2020 shall be auto-populated in this table.";

(F) against serial number 8C, for the entries, the following entry shall be substituted, namely:-

"Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during the financial year for which the annual return is being filed for but credit on which was availed in the next financial year within the period specified under Section 16(4) of the CGST Act, 2017.";

(d) in paragraph 7, –

(A) after the words and figures "April 2019 to September 2019.", the following shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April 2020 to September 2020.";

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial number 10 & 11, after the entries, the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April 2020 to September 2020 shall be declared here.";

(II) against serial number 12, -

(1) in the entry beginning with the word, letters and figures "For FY 2018-19" after the words "for filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2020 to September 2020 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. For FY 2019-20, the registered person shall have an option to not fill this table.";

(2) in the entry beginning with the word, letters and figures "For FY 2017-18" and ending with the words "an option to not fill this table.", for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19", the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted;

(III) against serial number 13, –

(1) in the entry beginning with the word, letters and figures "For FY 2018-19" after the words, letters and figures "in the annual return for FY 2019-20.", the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2019-20, Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2020 to September 2020 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2019-20 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2020-21, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2020-21.";

(2) in the entry beginning with the word, letters and figures "For FY 2017-18" and ending with the words "an option to not fill this table.", for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19", the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted;

(e) in paragraph 8, in the Table, in second column, for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19" wherever they occur, the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted.

12. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**, in the instructions, -

(i) in paragraph 4, in the Table, in second column, for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19" wherever they occur, the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted;

(ii) in paragraph 6, in the Table, in second column, for the letters, figures and word "FY 2017-18 and 2018-19" wherever they occur, the letters, figures and word "FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted.

13. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, in Annexure-1, in Statement-2, in the heading the brackets,word and letters"(accumulated ITC)", shall be omitted.

14. In the said rules, in **FORM GST ASMT-16**, for the table, the following table shall be substituted, namely: -

"Sr. No.	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
			From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												".

15. In the said rules, in **FORM GST DRC-01**, after entry (c), for the table, the following table shall be substituted, namely: -

"Sr. No.	Tax rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
			From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												".

16. In the said rules, in **FORM GST DRC-02**, after entry (c), for the table, the following table shall be substituted, namely: -

"Sr. No.	Tax rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
			From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												".

17. In the said rules, in **FORM GST DRC-07**, after serial number 5, for the table, the following table shall be substituted, namely: -

"Sr. No.	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
			From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												".

18. In the said rules, in **FORM GST DRC-08**, after serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely: -

"Sr. No.	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Plac+e of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
			From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												".

19. In the said rules, in **FORM GST DRC-09**, for the table, the following table shall be substituted, namely: -

"Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Integrated tax						
Central tax						
State/UT tax						
Cess						
Total						".

18. In the said rules, in **FORM GST DRC-24**, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

"Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other Dues	Total Arrears

1	2	3	4	5	6	7
Central tax						
State / UT tax						
Integrated tax						
Cess						“.

21. In the said rules, in **FORM GST DRC-25**, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

“Act	Tax		Interest	Penalty	Fee	Other Dues	Total Arrears
1	2		3	4	5	6	7
Central tax							
State / UT tax							
Integrated tax							
Cess							”.

“.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3 (100)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ 538 Dated: 07/07/21

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide number F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 72/2020 - State Tax, dated the 07/07/2021, published vide number No. F.3(99)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/537, dated the 07/07/2021.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–IV) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं0फा0 03(100)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/538 दिनांकः 07/07/21

अधिसूचना संख्या 79/2020–राज्य कर

सं0फा0 03(100)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये 15 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :––

"परंतु बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा :–

(i) माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की संख्या, जिसकी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; या

(ii) माल या सेवाओं के प्रदाय का कोई ऐसा वर्ग, जिसके लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की विनिर्दिष्ट संख्या का सभी रजिस्ट्रीकृत करदाताओं द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; और

(iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जिससे माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा :"।

3. उक्त नियमों के नियम 67क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :––

"67क. **अल्प संदेशकारी सेवा सुविधा द्वारा विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की रीति–**इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

से, जिससे कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में शून्य विवरणी, या धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों के शून्य ब्यौरें या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी–8** में शून्य विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के प्रति किसी निर्देश में रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या का प्रयोग करने वाली अल्प संदेशकारी सेवा के माध्यम से जावक प्रदायों की उक्त विवरणी या ब्यौरें या विवरण प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा और जावक प्रदायों की उक्त विवरणी का किसी रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए, जावक प्रदायों की शून्य विवरणी या उनके शून्य ब्यौरे या शून्य विवरण से किसी कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी या धारा 37 के जावक प्रदायों के ब्यौरे या नियम 62 के अधीन विवरण अभिप्रेत होगा, जिसमें, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** या **प्ररूप जीएसटीआर–1** या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी–8** की सभी सारणियों में कुछ नहीं है या कोई प्रविष्टि नहीं है ।"।

4. उक्त नियम के नियम 80 के उपनियम (3) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :––

"परंतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 और 2019–2020 के लिए, ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगा और वह संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रति तथा उक्त वित्तीय वर्ष के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में या तो सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करेगा ।"।

5. उक्त नियम के नियम 138ङ में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 20 मार्च, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

"परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 20 मार्च, 2020 से 15 अक्तूबर, 2020 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी या **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों का विवरण या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी–8** में विवरण फरवरी, 2020 से अगस्त, 2020 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है ।"।

6. उक्त नियम के नियम 142 के उपनियम (1क) में,––

(i) "उचित अधिकारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "उचित अधिकारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "संसूचित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "संसूचित" शब्द रखा जाएगा ।

7. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर–1** में, क्रम संख्यांक 12 के सामने, सारणी के स्तंभ 6 के शीर्षक में, "कुल मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "कर की दर" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटीआर–2क** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

प्ररुप जीएसटीआर–2क
[नियम 60 (1) देखें]

स्वतः प्ररुपित प्रदाय के ब्यौरे

(प्ररुप जीएसटीआर–1, जीएसटीआर–5, जीएसटीआर–6, जीएसटीआर–7, जीएसटीआर–8, माल का आयात और एसईजेड **एकाइयों / डेवलपरों द्वारा निर्मित माल के आयात से)**,

वर्ष					
माह					

1.	**लीएसटीआईएन**		
2.	**(क)**	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम**	
	(ख)	**व्यापार का नाम, यदि काई हो**	

भाग क

(सभी सारणी में रकम रुपए में)

3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय, प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली प्रदाय सहित

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	व्यापार / विधिक नाम	बीजक के ब्यौरे				दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियां (हाँ / ना)	जीएसटीआर 1/5 की अवधि	जीएसटीआर 1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर 3ख भरने की स्थिती (हाँ / ना)	संशोधन किया, यदि कोई हो (जीएसटीआईएन, अन्य)	कर अवधि जिस में संशोधन किया	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
		संख्या	प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियॉं शामिल हैं का संशोधन (3 का संशोधन)

मूल दस्तावेज का ब्यौरा		पुनरीक्षित ब्यौरे						दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्ति'यॉं (हॉं/ ना)	जीएसटीआर–1/5 की अवधि	जीएसटीआर–1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर–3ख भरने की स्थिति (हॉं/ना)	संशोधन किया(जीएसटीआईएन, अन्य)	मूल दस्तावेज की कर अवधि	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
संख्या	तारीख	जीएसटीआईएन	व्यापार/विधिक नाम	संख्या	प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5. चालू कर अवधि में प्राप्त **अतिशेष/जमापत्र**

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्रदायकर्ता का व्यापार/विधिक नाम	अतिशेष/जमापत्र के ब्यौरे					दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्ति'यॉं (हॉं/ ना)	जीएसटीआर–1/5 की अवधि	जीएसटीआर–1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर–3ख भरने की स्थिति (हॉं/ना)	संशोधन किया(जीएसटीआईएन, अन्य)	कर अवधि जिसमें संशोधन किया।	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
		संख्या	पत्र प्रकार	पत्र आपूर्ति का प्रकार	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर								
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

6. **अतिशेष/जमापत्र** का संशोधन (5 का संशोधन)

मूल दस्तावेज का ब्यौरा			पुनरीक्षित ब्यौरे							दर (%)	कर योग्य मूल्य	कर की राशि				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियॉं (हॉं/ना)	जीएसटीआर–1/5 की अवधि	जीएसटीआर–1/5 भरने की तारीख	जीएसटीआर–3ख भरने की स्थिति (हॉं/ना)	संशोधन किया(जीएसटीआईएन, अन्य)	मूल दस्तावेज की कर अवधि	रद्दीकरण की प्रभावी तारीख, यदि कोई हो
प्रकार	संख्या	तारीख	प्रदायकर्ता	व्यापार/विधिक नाम	संख्या	पत्र	पत्र आपूर्ति का प्रकार	तारीख।	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर								

			का जीएसटी आईएन			प्रकार																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

भाग ख

7. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय

आईएसडी का जीएसटीआईएन	प्रदायकर्ता का व्यापार/विधिक नाम	आईएसडी दस्तावेज के ब्यौरे			आईएसडी बीजक ब्यौरे (केवल आईएसडी जमा पत्र के लिए)		संबंधित आईटीसी राशि				जीएसटीआर–6 की अवधि	जीएसटीआर–6 भरने की तारीख	संशोधन किया, यदि कोई हो	कर अवधि जिसमें संशोधन किया	आईटीसी की उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8. आईएसडी प्रत्यय के ब्यौरे का संशोधन

मूल आईएसडी दस्तावेज के ब्यौरे			पुनरीक्षित ब्यौरे					मूल आईएसडी बीजक ब्यौरे (केवल आईएसडी जमा पत्र के लिए)		संबंधित आईटीसी राशि				आईएसडी जीएसटीआर–6 की अवधि	आईएसडी जीएसटीआर–6 भरने की तारीख	संशोधन किया	मूल दस्तावेज की कर अवधि	आईटीसी की उपलब्धता
प्रकार	संख्या	तारीख	आईएसडी का जीएसटी आईएन	**व्यापार/विधिक नाम**	प्रकार	संख्या	तारीख	संख्या	तारीख	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

भाग ग

9.प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय (उसके संशोधनों सहित)

कटौतीकर्ता का जीएसटी आईएन / ई–वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	कटौतीकर्ता / ई–वाणिज्यिक आपरेटर का नाम	जीएसटीआर–7 / जीएसटीआर–8 की कर अवधि (मूल‍ संशोधित)	प्राप्त राशि / सकल मूल्य (मूल‍ संशोधित)	आपूर्ति वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए निवल राशि	राशि (मूल‍संशोधित)		
						एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9क. टीडीएस								
9ख. टीसीएस								

भाग घ

10. प्रवेश के बिल पर विदेशों से माल का आयात (उनके संशोधन सहित)

आइसगेट संदर्भ तारीख	प्रवेश के बिल के ब्यौरे				कर की राशि		संशोधित (हाँ / ना)
	पोत कोड	संख्या	तारीख	मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8

11. प्रवेश के बिल पर एसईजेड एकाइयों / डेवलपरो से माल का आयात (उनके संशोधन सहित)

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन (एसईजेड)	व्यापार / विधिक नाम	आइसगेट संदर्भ तारीख	प्रवेश के बिल के ब्यौरे				कर की राशि		संशोधित (हाँ / ना)
			पोत कोड	संख्या	तारीख	मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निर्देशः

1. प्रयुक्त पद :–

क। आइटीसी– इनपुट टैक्स क्रेडिट

ख। आइएसडी – इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर

2. महत्वपूर्ण सलाह : प्ररूप जीएसटीआर–2क एक ऐसा विवरण है जिसको आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर–1,5,6,7 या 8 में दी गयी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक परिवर्तनशील विवरण है और जिसे आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए नए योग / संशोधन के आधार पर लगभग वास्तविक समय मे अद्यतन किया जाता रहता है। आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा जोड़े गए ब्यौरों को प्राप्तकर्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर–2ए में दर्शाया जाता है, चाहे आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख कुछ भी हो।

3. ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कि, कर की लागू दर के प्रतिशत को सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहां ऐसी दर लागू हो वहाँ बीजक / दस्तावेजों के लिए अलग से एक कालम दिया जाएगा।

4. तालिकावार निर्देशः

तालिका संख्या और शीर्षक	निर्देश
3 रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय, प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली प्रदाय सहित	i. इस तालिका में आपके आपूर्तीकर्ताओं द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–1 और 5 में सहेजे / प्रस्तुत किए गए सभी बीजकों (प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली बीजक सहित) के ब्यौरे आएंगे ii. बीजक के प्रकारः क. आर– नियमित (एसईजेड आपूर्ति और डीम्ड एक्सपोर्ट से भिन्न) ख. एसईजेडडब्ल्यूपी – कर के भुगतान के साथ एसईजेड आपूर्ति ग. एसईजेडडब्ल्यूओपी– कर के भुगतान के बिना एसईजेड आपूर्ति घ. डीई – डीम्ड एक्सपोर्ट ड. सीबीडब्ल्यू – आईजीएसटी आकर्षित करने वाली अन्तः राज्य आपूर्ति। iii. प्रत्येक बीजक के लिये प्ररूप जीएसटीआर –1 / 5 जिसमें उस बीजक को घोषित और प्रस्तुत किया गया है की अवधि और तारीख दी गई है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपूर्तीकर्ताओं के द्वारा जोड़े गए ब्यौरों को प्राप्तकर्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर–2ए में दर्शाया जाता है, चाहे आपूर्तीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख कुछ भी हो । उदाहरणार्थ, यदि आपूर्तीकर्ता अपने बीजक आईएनवी–1 दिनांक 10 नवम्बर, 2019 को अपने मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर –1 प्रस्तुत करता है तो ऐसे बीजक को मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर –2क में ही दर्शाया

	जायेगा। इसी प्रकार, यदि आपूर्तीकर्ता अपने नवंबर माह के प्ररूप
	iv. जीएसटीआर –1 को 5 मार्च, 2020 को प्रस्तुत करता है तो ऐसी बीजक को प्राप्तकर्ता के नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर –2क में दर्शाया जायेगा। iv- प्ररूप जीएसटीआर–1 के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर–3बी के प्रस्तुत किए जाने की वस्तुस्थिति भी दर्शायी जाएगी। v. इस तालिका में यह भी दर्शाया जाएगा कि क्या आपूर्तीकर्ता ने किसी बीजक या अतिशेष पत्र (डेबिट नोट) में कोई संशोधन किया है, और यदि हाँ तो, वह कर अवधि जिसमें ऐसे बीजक का संशोधन किया गया, घोषित किया गया और प्रस्तुत किया गया। उदाहरणार्थ, यदि आपूर्तीकर्ता ने 10 नवम्बर, 2019 के बीजक आईएनवी –1 अपने नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर–1 में प्रस्तुत किया है, तो उसके इस बीजक को नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर–2क में दर्शाया जायेगा। यदि आपूर्तीकर्ता अपने दिसम्बर 2019 के प्ररूप जीएसटीआर –1 में इस बीजक का संशोधन करता है, तो इस संशोधित बीजक को दिसम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर –2क की सारणी 4 में दर्शाया जाएगा। प्राप्तकर्ता के नवम्बर 2019 के प्ररूप जीएसटीआर–2क की तालिका 3 में दिये गए मूल रेकार्ड मे अब अद्यतन के कालम होगें जिसमें किए गए संशोधन को (जीएसटीआईएन, अन्य) और संशोधन की कर अवधि जो की दिसम्बर 2019 है, को दर्शाया जाएगा। vi. यदि आपूर्तिकर्ता ने अपना पंजीकरण रदद् करवा दिया है, तो प्रभावी रद्दीकरण तारीख भी दर्शायी जाएगी ।
4 रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली आपूर्तियाँ शामिल है का संशोधन (3 का संशोधन)	i. इस तालिका में आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर–1 और 5 में सहेजे ध्प्रस्तुत किए गए बीजकों (प्रतिवर्ती प्रभार को आकर्षित करने वाली बीजक सहित) का संशोधन है । ii. मूलरुप से बीजके को दर्ज किए जान वाली कर अवधि और संघोधन के प्रकार को भी बाया जाण्गा। उदाहरण के लिए, यदि आपूर्तिकर्ता ने 10 नवम्बर, 2019 के बीजक आईएनवी–1, अपने नवम्बर,2019 के जीएसटीआर–1 में प्रस्तुत किया है, तो उसके इस बीजक को नवम्बर, 2019 के प्ररुप जीएसटीअर–2क में दर्शाया जायेगा। यदि आपूर्तिकर्ता अपने दिसम्बर, 2019 के जीएसटीआर–1 में इस बीजक को संशोधन करता है, तो इस संशोधित बीजक को दिसम्बर, 2019 के प्ररुप जीएसटीआर–क की सारणी 4 में दर्शाया जाएगा। प्राप्तकर्ता के नवम्बर 2019 के प्ररुप जीएसटीआर–2क की तालिका 3 में दिए गए मूल रेकार्ड में अब अद्यतन के कालम होंगे जिसमें किए गए संशोधन को (जीएसटीआईएन, अन्य) और संशोधन की कर अवधि जो कि दिसम्बर, 2019 है, को दर्शाया जाएगा।
5 चालू कर अवधि में प्राप्त अतिशेष / जमापत्र (डेबिट / क्रेडिट नोट)	i. इस तालिका में आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–1 और 5 में सहेजे /प्रस्तुत किए गए क्रेडिटध्डेबिट नोट (प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित करने वाले क्रेडिट / डेबिट नोट सहित) के ब्यौरे है । ii यदि क्रेडिटध्डेबिट नोट को बाद में संशोधित किया गया है, तो वह कर अवधि जिसमें नोट संशोधन किया गया है, भी दर्शायी जाएगी । iii नोट के प्रकारः • क्रेडिट नोट / जमा पत्र

	• डेबिट नोटः अतिशेष पत्र iv नोट आपूर्ति के प्रकारः o आर– नियमित (एसईजेड आपूर्ति और डीम्ड एक्सपोर्ट से भिन्न) o एसईजेडडब्ल्यूपी – कर के भुगतान के साथ एसईजेड आपूर्ति o एसईजेडडब्ल्यूओपी– कर के भुगतान के बिना एसईजेड आपूर्ति एसईजेड o डीई – डीम्ड एक्सपोर्ट o सीबीडब्ल्यू दृ आईजीएसटी आकर्षित करने वाली अन्तः राज्य आपूर्ति। v प्रत्येक क्रेडिट या डेबिट नोट के लिये प्ररूप जीएसटीआर–1/5 की अवधि और तारीख दी गई है, जिसमें ऐसी क्रेडिट या डेबिट नोट को घोषित और प्रस्तुत किया गया है । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा दिये गए ब्यौरों को प्राप्तकर्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर–2क में दर्शाया जायेगा, चाहे आपूर्तिकर्ताके द्वारा जीएसटीआर–1 प्रस्तुत किये जाने की तारीख कुछ भी हो। उदाहरणार्थ, यदि आपूर्तिकर्ताअपने क्रेडिट नोट सीएन–1 दिनांक 10 नवम्बर, 2019 को अपने मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर–1 प्रस्तुत करता है तो ऐसे क्रेडिट नोट को मार्च 2020 के प्ररूप जीएसटीआर–2क में ही दर्शाया जायेगा। इसी प्रकार, यदि आपूर्तिकर्ताअपने नवंबर माह के प्ररूप जीएसटीआर–1 को 5 मार्च, 2020 को प्रस्तुत करता है तो ऐसी क्रेडिट नोट को प्राप्तकर्ता के नवम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर–2क में दर्शाया जाएगा । viआपूर्तिकर्ता के संबन्धित प्ररूप जीएसटीआर–3बी के प्रस्तुत किए जाने की वस्तुस्थिति भी दर्शायी जाएगी। vii इस तालिका में यह भी दर्शाया जाएगा कि क्या आपूर्तिकर्ताने किसी क्रेडिट या डेबिट नोट में कोई संशोधन किया है। और यदि हाँ तो, वह कर अवधि जिसमें ऐसा क्रेडिट या डेबिट नोट में संशोधन घोषित या प्रस्तुत किया गया है को दर्शाया जाएगा । viii यदि आपूर्तिकर्ता ने अपना पंजीकरण रदद् करवा दिया है, तो प्रभावी रद्दीकरण तारीख भी दर्शायी जाएगी ।
6. डेबिट/क्रेडिट नोट में संशोधन (5 में संशोधन)	i. इस तालिका में आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–1 और 5 में सहेजे /प्रस्तुत किए गए क्रेडिट/डेबिट नोट के संशोधन (प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित करने वाले क्रेडिट/डेबिट नोट सहित) के ब्यौरे है । ii. कर अवधि जिसमें नोट को मूलरूप से दर्ज किया गया था भी दर्शायी जाएगी।
7. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय	i. इस तालिका में आईएसडी बीजक और आईएसडी क्रेडिट नोट का विवरण दिए गए हैं जिसे एक इनपुट सेवा वितरक ने अपने प्ररूप जीएसटीआर–6 में सहेजाप्रस्तुत किया है । ii.कागजात के प्रकार, • आईएसडीबीजक

9	• आईएसडीक्रेडिटनोट iii. यदि आईएसडी बीजक जारी किए जाने के बाद आईएसडी क्रेडिट नोट जारी किया गया है, तो ऐसे क्रेडिट नोट के लिए मूल बीजक संख्या और दिनांक भी दर्शाया जाएगा । यदि कागजात का प्रकार आईएसडी बीजक है, तो इन कॉलमों को खाली रखा जाएगा । iv. प्रत्येक आईएसडी बीजक या आईएसडी क्रेडिट नोट के लिए प्ररूप जीएसटीआर–6 की अवधि और दिनांक प्रदान की जाएगी जिनमे संबंधित बीजक या क्रेडिट नोट को घोषित या प्रस्तुत किया गया हो । v. प्ररूप जीएसटीआर–6 में घोषित आईएसडी बीजक पर आईटीसी की पात्रता की वस्तुस्थिति भी प्रदान की जाएगी । vi. आईएसडी क्रेडिट नोट पर आईटीसी की पात्रता की वस्तुस्थिति भी प्रदान की जाएगी ।
8. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय में संशोधन)	i इस तालिका में आईएसडी बीजक और आईएसडी क्रेडिट नोट में संशोधन के विवरण दिए गए हैं जिसे एक इनपुट सेवा वितरक ने अपने प्ररूप जीएसटीआर–6 में सहेजा/प्रस्तुत किया है ।
9. प्राप्त टीडीएस / टीसीएस प्रत्यय र णी में	i. इस तालिका में प्ररूप जीएसटीआर–7 और प्ररूप जीएसटीआर–8 से टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय का विवरण और किसी कर अवधि के दौरान इसमें किए गए संशोधन दिए गए हैं । ii. सामान्य पोर्टल पर टीडीएस/टीसीएस प्रत्यय को स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए एक अलग सुविधा दी जाएगी।
10. & 11. विदेशों से, एसईजेड इकाइयों से और एसईजेड डेवलपर्स से 'प्रवेश के बिल' पर आयातित माल का विवरण और उनसे संबंधित संशोधन (क	i. इस तालिका में विदेशों से, एसईजेड इकाइयों से और एसईजेड डेवलपर्स से 'प्रवेश के बिल' पर आयातित माल पर आईजीएसटी भुगतान का विवरण और उससे संबंधित संशोधन दिए गए हैं। ii. आइसगेट में यह संदर्भ तारीख दी गई है जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स प्रत्यय के पात्र हैं। iii. तालिका में यह भी दिया गया है कि क्या 'प्रवेश के बिल' को संशोधित किया गया है। iv. सारणी में दी गई जानकारी आइसगेट के डाटा से प्राप्त सूचना के आधार पर दी गई है। कुछ आयात से संबंधित जानकारी जैसे कि कोरियर द्वारा आयात की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

9.

उक्त नियम के प्ररुप जीएसटीआर–5 में,––

(क) क्रम संख्यांक 2 में प्रविष्टि (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःरथापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(घ)	एआरएन	स्वतः पूर्ण
(ङ.)	एआरएन की तारीख	स्वतः पूर्ण।";

(ख) क्रम संख्यांक 10 में,––

(अ) शीर्षक में, "कुल कर दायित्व" शब्दों के पश्चात, "(जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार दायित्व, यदि कोई हो, भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतरूरथापित किए जाएंगे ;

(आ) क्रम संख्यांक 10ख और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतरूरथापित की जाएगी, अर्थात् :––

"10ग प्रतिवर्ती प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों के कारण					
					।";

(ii) अनुदेशों में,––

(क) पैरा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् रू––

7. कर अवधि से संबंधित, बीजक स्तरीय सूचना, दर–वार, निम्नानुसार रिपोर्ट की जाए :––

(i) सभी ख से ख प्रदायों के लिए (चाहे अंतर–राज्यिक हो या अन्तरा–राज्यिक) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 5 में अपलोड किए जाने चाहिए ;

(ii) सभी अंतर–राज्यिक ख से ग प्रदायों के लिए, जहां बीजक मूल्य 2,50,000/– रुपए से अधिक है (ख से ग बृहत्त) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 6 में उपलब्ध कराए जाएं ; और

(iii) सभी ख से ग प्रदायों के लिए, उन प्रदायों से भिन्न, जो सारणी 6 में रिपोर्ट किए गए हैं, ऐसे प्रदायों का राज्यवार सारांश उपलब्ध कराने वाली, सारणी 7 में रिपोर्ट किए जाएंगे ;";

(ख) पैरा 8 के खंड (पप) में, हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) पैरा 10के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :––

"10. सारणी 10 में चालू कर अवधि में घोषित जावक प्रदायों के कारण कर दायित्व और चालू कर अवधि में माल के आयात में संशोधन के कारण नकारात्मक आईटीसी सम्मिलित है । आवक प्रदायों को, जिनको प्रतिवर्ती प्रभार लागू होता है, सारणी के भाग में रिपोर्ट किया जाएगा ।"।

10. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–5क में,––

(i) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतरूस्थापित की जाएंगी, अर्थात् रू––

"4(क) एआरएन;

4(ख) एआरएन की तारीख रू ";

(ii) क्रम संख्यांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :––

"6. ब्याज की संगणना, या कोई अन्य रकम

(रकम रुपयों में)

क्रम सं0	विवरण	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	शोध्य रकम (ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	6
1.	ब्याज			
2.	अन्य			
	योग			।

(iii) क्रम संख्यांक 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :––

"7.कर, ब्याज, या संदेय और संदत्त कोई अन्य रकम

(रकम रुपयों में)

क्रम सं0	विवरण	संदेय रकम		नामे प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5 और 5क पर आधारित)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (सारणी 6 पर आधारित)					

11. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–9 में,—–

(i) सारणी में,—–

(क) क्रम संख्यांक 8ग के सामने, स्तंभ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् रू—–

" वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त, किंतु आगामी वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट अवधि तक उपभोग किए गए आवक प्रदाय (आयातों और प्रतिवर्ती प्रभारों के लिए दायी आवक प्रदायों, किंतु जिसमे विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं भी हैं, से भिन्न) आवक प्रदायों पर आईटीसी ";

(ख) भाग 5 के सामने, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—–

"आगामी वित्तीय वर्ष की विवरणियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक घोषित वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहार की विशिष्टियां ।";

(ii) अनुदेशों में,—–

(क) पैराग्राफ 2 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् –

" 2क. सारणी के कम संख्या 4, 5, 6 और 7 के सामने करदाता केवल वित्तीय वर्ष से संबंधित मूल्यों को ही वर्णित करेगा, पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित मूल्यों का वर्णन यहाँ नहीं किया जाएगा."

(ख) पैरा 4 में,—–

(अ) "वित्तीय वर्ष 2017–18 या वित्तीय वर्ष 2018–19" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2019–20" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017–18 , वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग)पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में,—–

(अ) क्रम सं0 6ख के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—–

'वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के रूप में इनपुट कर दायित्व के विवरण की रिपोर्ट करेगा और उसके पास इनपुटों और इनपुट सेवाओं के रूप में शेष रकम के विवरण की रिपोर्ट करने का या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण शेष रकम की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।';

(आ) क्रम सं0 6ग और क्रम सं0 6घ के सामने,—

(प) 'केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय' शब्दों के साथ समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के रूप में इनपुट कर दायित्व के विवरण की रिपोर्ट करेगा और उसके पास इनपुटों और इनपुट सेवाओं के रूप में शेष रकम के विवरण की रिपोर्ट करने का या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण शेष रकम की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।';

(ii) "केवल सारणी 6ग और सारणी 6घ में सारणी घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के साथ समाप्त होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2017—18 और वित्तीय वर्ष 2018—19" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2017—18, वित्तीय वर्ष 2018—19 और वित्तीय वर्ष 2019—20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(इ) क्रम संख्या 6ङ के सामने, प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के रूप में इनपुट कर प्रत्यय के ब्रेकअप को रिपोर्ट करेगा तथा उसके पास इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के रूप में शेष रकम के ब्रेकअप को रिपोर्ट करने या "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण शेष रकम को रिपोर्ट करने का विकल्प होगा । " ;

(ई) प्रविष्टि में क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19", अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19 और 2019—20", अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) सीरियल नंबर 8क के सामने, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतरू स्थापित की जाएगी, अर्थातः—

" वित्त वर्ष 2019—20 के लिए, यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवंबर, 2020 तक उत्पन्न प्रारूप जीएसटीआर —2A का विवरण इस सारणी में स्वतः—जनित होगा।"

(ऊ) सीरियल नंबर 8ग के सामने, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः—

"सभी आवक आपूर्ति (जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन एसईजेड से प्राप्त सेवाओं की आपूर्ति शामिल है को छोड़कर), वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का सकल मूल्य, जिसके लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, लेकिन जिस पर क्रेडिट अगले वित्तीय वर्ष में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (4) के तहत निर्दिष्ट अवधि में लिया गया था।"

(घ) पैरा 7 में,—

(अ) "अप्रैल 2019से सितंबर 2019", शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए भाग 5 संव्यवहारों की विशिष्टियों से मिलकर बना है किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच प्ररूप जीएसटीआर—3ख में संदत्त किया गया है ।";

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में,—

(I) क्रम संख्याक 10 और 11 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित प्रदायों में जोड या संशोधन के ब्यौरे किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत ऐसे संशोधन यहां घोषित किए जाएंगे ।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, —

(1) "वित्तीय वर्ष 2018–19", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली प्रविष्टि में, "इन ब्यौरों को भरने के लिए", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया था किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मासों के लिए फाईल की गई विवरणियों में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर–3ख की सारणी 4 (ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी । वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को ना भरने का विकल्प होगा ।";

(2) "वित्तीय वर्ष 2017–18", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने,–

(1) "वित्तीय वर्ष 2018–19", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक विवरणी में " शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतरू स्थापित की जाएगी अर्थात :–

"वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त मालों और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे किंतु अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मासों के लिए फाईल की गई विवरणियों में उसके लिए उपभोग की गई आईटीसी यहां घोषित की जाएगी । प्ररूप जीएसटीआर–3ख की सारणी 4 (क) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी । तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया था किंतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में उसका पुनः दावा किया गया था, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे ।";

(2) "वित्तीय वर्ष 2017–18", शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाली और "इस सारणी को ना भरने का विकल्प" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि में, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ङ) पैरा 8 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19", शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर–9ग के निर्देशों में,–

(i) पैरा 4 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19", शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 6 की सारणी के दूसरे स्तंभ में, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19", शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

13. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 के उपाबंध 1 के कथन 2 के शीर्ष में, "(संचित आईटीसी)" कोष्ठकों, शब्द और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

14. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एएसएमटी–16 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :–

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

योग												"

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01 में, प्रविष्टि (ग) के पश्चात् सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

16. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–02 में, प्रविष्टि (ग) के पश्चात् सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :–

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

17. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07 में, क्रम संख्या 5 के पश्चात्, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

"क्र.	कर की	आवर्त	कर अवधि	अधिनि	पीओए	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग

सं.	दर		से	तक	यम	स (प्रदाय का स्थान)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

18. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–08 में, क्रम संख्या 7 के पश्चात, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि से तक		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

19. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–09 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

"क्र. सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि से तक		अधिनियम	पीओएस (प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												"

20. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–24 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

"अधिनियम	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य शोध्य	कुल बकाया

1	2	3	4	5	6	7
एकीकृत कर						
केन्द्रीय कर						
राज्य / संघराज्य क्षेत्र कर						
उपकर						

21. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–25 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

"अधिनियम	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य शोध्य	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6	7
एकीकृत कर						
केन्द्रीय कर						
राज्य / संघराज्य क्षेत्र कर						
उपकर						

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
मनोज कुमार
(मनोज कुमार)
उप सचिव–IV (वित्त)

सं0फा0 03(100) / वित्त (व्यय–IV) / 2021–22 / डीएस– IV / 538 दिनांकः 07/07/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उप सचिव–IV (वित्त)

टिप्पण : मूल नियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV) में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व–I)/2020–21/डीएस–VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 72/2020–राज्य कर तारीख 07/07/2021, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV) में सं0फा0 03(99)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस–IV/537 तारीख 07/07/2021 द्वारा किया गया ।